


तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

16/7/19 पन्नावली पेश हुई। प्राची व उनके अधिवक्ता को उबार कवाज दिलायी गयी। यह कवाज उपस्थित नहीं है।

कल: प्राचीना-पत्त प्राची कलगति धारा 212 RT Act 1955 अदम हाजरी, अदम जैरवी में खारिज किया जाता है। पन्नावली निर्णय में शुभ्रा डौक (गम्बरसे कम हो तथा बादामील तकमील दायित्व गम्बर हो।


उपसब डायिविजनल अधिकारी
खानपुर (झालावाड़)